

25/07/24

आगे चलाना
नहीं चाहिए
D/Am

वकील वादीगण उपस्थित। दवाया को
नहीं चलाना चाहिए। इसी तरह पर खारिज
फैले का निवेदन किया है। वकील वादीगण
को बुला गया। इनके निवेदन पर यह दवा
इसी तरह पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली निजीप से शुमार की जाकर
दाखिल दफ्तर हो। 8